

दिनांक	आज्ञा पत्र
29.6.23	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 6.9.23 को पेश हो
6.9.23	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 29.9.23 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 29.9.23 को पेश हो।
29.9.23	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 29.9.23 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 29.9.23 को पेश हो।
8.11.23	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 8.11.23 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 8.11.23 को पेश हो।
27/12/23	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 13.3.24 को पेश हो।
13.3.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से श्रेष्ठ रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने अन्याया आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलाट ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलाट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल नुमाय होकर न्याय से कम होकर बाद तस्तीब तकमील दाखिल दफतर हो।

तस्तीब जाए  
2085  
12/3/24



श्री-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प इन्डियन)